झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–896 वर्ष 2017

राजू कुमार .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची।

4. पुलिस अधीक्षक, बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री जयशंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री रोहन कश्यप, जी0पी0–II के ए0सी0

08/15.07..2021 याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.06.2015 का आदेश (अनुलग्नक–3) को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित किया गया है।

2. शुरूआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह रिट आवेदन इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका (एस) संख्या 1045/2014 (प्रमोद कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य) में पारित दिनांक 04.09.2019 के आदेश द्वारा आच्छादित

है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले को उपरोक्त मामले में पारित आदेश के संदर्भ में निपटाया जा सकता है।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील बहुत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि इस रिट याचिका में शामिल मुद्दों को इस माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 1045/2014 (प्रमोद कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य) में पारित आदेश द्वारा निर्णीत किया जा चुका है और उपरोक्त मामले में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

4. चाहे जो भी हो, मामले के गुण–दोषों को देखे बिना, मैं प्रतिवादी प्राधिकारियों को डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 1045/2014 (प्रमोद कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य) में अंतर्वलित तथ्यपूर्ण पहलुओं/मुद्दे के संदर्भ में वर्तमान रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त तथ्यात्मक पहलुओं/मुद्दे को सत्यापित करने का निर्देश देता हूँ और यदि वर्तमान रिट याचिका में शामिल तथ्य/मुद्दे ऊपर उल्लिखित रिट याचिका के समान पाए जाते हैं तो इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर वर्तमान रिट याचिकाकर्ता को भी वही लाभ विधि के अनुसार दिए जा सकते हैं।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]